Ex.P.-392

D-218.

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़
जय जवान पेट्रोल पंप के सामने, जी.ई.रोड, रायपुर

क्रमांक/अपराध/अनु0-09(15)/864 /2015, रायपुर, दिनांक 12.3.15

प्रति,

निदेशक,
केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला,
रामांतापुरा, हैदराबाद-13 (आं.प्र.)

विषय :- जप्तशुदा पेन ड्राईव्ह्स का परीक्षण करने बावत्।

संदर्भ :- थाना ईओडब्ल्यू/एसीबी के अपराध क्रमांक 09/2015 धारा - 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, सहपठित धारा 109, 120(बी) भा0द0वि0 आरोपी - श्री शिवशंकर भट्ट एवं अन्य, नागरिक आपूर्ति निगम, छ0ग0 रायपुर

--0--

थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों रायपुर में संदर्भित अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। संदर्भित अपराध नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर छ.ग. में पदस्थ अधिकारियों द्वारा चांवल उपार्जन में राईस मिलर्स से, जो चांवल उपार्जन किया जाता है, उसमें खराब क्वालिटी का चांवल का उपार्जन, चांवल उपार्जन के दौरान होने वाली असुविधाओं में सहायता देना इत्यादि के कारण अवैध वसूली की जाती है, जो जिलों के माध्यम से मुख्यालय भेजी जाती है। सूत्र जांच के दौरान यह सूचना भी प्राप्त हुई कि नॉन मुख्यालय में पदस्थ प्रबंधक शिवशंकर भट्ट द्वारा अपने स्टेनो टाईपिस्ट अरविन्द सिंह ध्रुव को 20,00,000/-रूपये पी.ए. टू एम.डी. गिरीश शर्मा को 01 घंटे की भीतर देने के लिये कहा है, इसी तरह उगाही के अन्य पैसो का भी वितरण तुरंत ही किया जाने वाला है। इस पर थाना आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों में अपराध क्रमांक 09/2015 धारा - 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवार अधिनियम 1988, सहपठित धारा 109, 120(बी) भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

छ0ग0 राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में पदस्थ गिरीश शर्मा पी.ए.टू प्रबंध संचालक एवं कृतिकांत बारीक के कब्जे से पेन ड्राईव्ह्स बरामद किये गये है, जिसमें लेन-देन से संबंधित ब्यौरे है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रदर्शो का विवरण	कैसे, कब और जिसके द्वारा प्रापत	प्रदर्शो का स्त्रोत	टिप्पणी
01	एक सील बंद लिफाफे में 01 नग एच.पी. कंपनी का पेन ड्राईव, ब्लू कलर का, जिसमें V112 b DE CEP लिखा है।	12.02.2015 को 13.25 बजे श्री अशोक कुमार जोशी, उप पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर	श्री गिरीश शर्मा, पी.ए. टू. प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर	"अ"

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

02	(अ) एक सील बंद लिफाफा में 01 नग पेन ड्राईव काले रंग का, एक तरफ सेनडिस्क लिखा है, दूसरी ओर क्रूजर स्विच PC CE 8GB Made in China लिखा है।	02.03.2015 को 15.00 बजे श्री संजय दिनकर देवस्थले, निरीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर	श्री कृतिकांत बारीक, स्टेनो टाईपिस्ट, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर	"ब"
	(ब) एक सील बंद लिफाफा में एक मैटेलिक पेन ड्राईव (8GB) एच. पी. कंपनी का, जिसके दूसरे तरफ V-210W लिखा है।	एवं 03.03.2015 के 16.30 बजे	-	"स"

III. किये जाने वाले परीक्षणों का स्वरूप

1. पेन ड्राईव का परीक्षण कर उसमें मौजूद समस्त फाईल, डाटा इमेज, वीडियो आदि समस्त दस्तावेज (Hidden Deleted सहित) रिकव्हर कर पृथक से प्रदान करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त साक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य एवं साफ्ट कापी में प्रदाय करने हेतु।

III. हिरासत में लिये व्यक्त्यिों के विवरण

क्र.	पूरा नाम	व्यवसाय	आयु	पुरूष/स्त्री	बंदी बनाने की तारीख एवं समय	जमानत	न्यायालय

निरंक

जांच अधिकारी का पद और हस्ताक्षर

निदेशक, केन्द्रीय न्यायालियक विज्ञात प्रयोगशाला, रामांतापुर, हैदराबाद-13 (आं.प्र.) को प्रेषित

भेजने वाले अधिकारी का पद और हस्ताक्षर
पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रदर्शो/पार्सल पर नमूना,
मोहर, छाप

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

:: अभिप्रमाणित नमूना सील ::

थाना - राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर (छत्तीसगढ़)

अपराध क्रमांक 09/2015 धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा 120(बी), 109 भा0द0वि0

नाम आरोपी -- शिवशंकर भट्ट एवं अन्य

अभिप्रमाणित हस्ताक्षर

निरीक्षक
थाना प्रभारी
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं
ब्यूरो
छत्तीसगढ़, रायपुर

थाना प्रभारी
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो
रायपुर, छत्तीसगढ़

पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो
रायपुर, छत्तीसगढ़

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

FORENSIC SCIENCE LABORATORY
परिशिष्ट–1–अग्रेषण टिप्पणी
APPENDIX-I-FORWARDING NOTE

ऐसे सभी मामलों में इस फार्म की एक प्रति भरकर प्रदर्शों के साथ लगाई जानी चाहिए, जिनमें किसी भी सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है।

In all cases where examination of any material is required at the Laboratory, a copy of this form duly filled in should accompany the exhibit.

मामला सं.
Case No. **09/2015**

कानून की धारा – 13(1)डी,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सहपठित धारा 109, 120बी, भादवि0,
Section of Law ....

तारीख – 12.02.2015
Date ....

पुलिस स्टेशन – थाना ईओडब्ल्यू, रायपुर छ.ग.
Police Station ....

जिला – रायपुर
District ....

राज्य – छ0ग0
State ....

I. अपराधों का स्वरूप
I. NATURE OF CRIME

(इस अन्तर्गत आरोपों का स्वरूप, संक्षिप्त इतिवृत्त और अन्य संगत ब्यौरों का वर्णन होना चाहिए)
(This should cover nature of charge, brief history and any relevant details)

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नागरिक आपूर्ति निगम में पदस्थ अधिकारियों द्वारा, चॉवल उपार्जन में राईस मिलर्स से, जो चॉवल उपार्जन किया जाता है, उसमें खराब क्वालिटी का चॉवल का उपार्जन, चॉवल उपार्जन के दौरान होने वाली असुविधाओं में सहायता देना, इत्यादि के कारण, अवैध राशि की वसूली की जाती है, जो जिलों के माध्यम से मुख्यालय भेजी जाती है। सूत्र जॉच के दौरान यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि नॉन मुख्यालय में पदस्थ प्रबंधक शिवशंकर भट्ट द्वारा अपने स्टेनो टायपिस्ट अरविन्द सिंह ध्रुव को 20 लाख रूपये पीए टू एमडी गिरीश शर्मा को एक घण्टे के भीतर देने के लिये कहा है। इसी तरह उगाही के अन्य पैसों का भी वितरण तुरंत ही किया जाने वाला है। इस पर थाना आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर में अपराध कमांक 09/2015 धारा 13(1)(डी),13(2) भ्र. नि.अ.1988 एवं 109 व 120(बी)भा.दं.वि. का अपराध पंजीयन कर विवेचना में लिया गया है।

छ.ग. राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, छ0ग0 में पदस्थ आरोपी श्री गिरीश शर्मा, पी.ए. टू प्रबंध संचालक, श्री अरविंद ध्रुव, स्टेनो टायपिस्ट एवं श्री कृतिकांत बारिक के कब्जे से पेन ड्राईव्स बरामद किए गए हैं, जिसमें लेनदेन से संबंधित ब्योरे हैं।

II. परीक्षण के लिए भेजे गये प्रदर्शों की सूची
II. LIST OF EXHIBITS SENT FOR EXAMINATION

कमांक S.No.	प्रदर्शों का विवरण Description of exhibits	कैसे कब और जिसके द्वारा प्राप्त How, when & by whom found	प्रदर्शों का स्रोत Source of exhibit	टिप्पणी Remark
01	एक सील बंद लिफाफे में 01 नग एच.पी. कंपनी का पेन ड्राइव्ह, ब्लू कलर का जिसमें V 112 b DE CEP लिखा है।	12.02.2015 को 13:25 बजे श्री अशोक कुमार जोशी, उप पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर	श्री गिरीश शर्मा, पी. ए. टू प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर, छ.ग.	"अ"

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

03	(अ) एक सील बंद लिफाफे में 01 नग पेन ड्राइव्ह काले रंग का, एक तरफ सेनडिस्क लिखा है दूसरी ओर क्जर स्विच PC CE 8GB Made in China लिखा है। (ब) एक सिलबंद लिफाफा में एक मैटेलिक पेन ड्राईव्ह (08 जी.बी.) एच.पी. कंपनी का, जिसके दूसरे तरफ V-210W लिखा है।	02.03.2015 को 15.00 बजे श्री संजय दिनकर देवस्थले, निरीक्षक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर एवं 03.03.2015	श्री कृतिकांत बारिक स्टेनो टायपिस्ट, नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर छ.ग. --//--	"ब" "स"

जब्तशुदा उक्त पेन ड्राईव्हस में उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की प्रबल संभावना है। उपरोक्त विवरण अनुसार पेन ड्राईव्हस परीक्षण हेतु आपकी ओर भेजी जा रही है। कृपया पेन ड्राईव्हस का परीक्षण कर पेन ड्राईव्हस में मौजूद समस्त फाईल, डाटा इमेज, विडियो आदि समस्त दस्तावेज (Hidden, deleted सहित) रिकव्हर कर पृथक से प्रदान करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त साक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य जानकारी हार्ड एवं साफ्टकापी में प्रदाय करने का कष्ट करें।

संलग्न : अभिप्रमाणित नमूना सील।

पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो
छत्तीसगढ़, रायपुर

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

प्राधिकार का प्रमाण–पत्र

CERTIFICATE OF AUTHORITY

प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक, केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रामांतापुर, हैदराबाद–13 (आं.प्र.) मामला सं. के अंतर्गत अप. क. 09/2015

CERTIFIED that the Director, Central Forensic Science Laboratory, Ramanthapur, Hyderabad – 13 (A.P.) has the authority to examine the exhibits sent to him in connection with the case No. 09/2015 पुलिस स्टेशन/P.S. आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर के धारा सं./Under Section 13(1)डी,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सहपठित धारा 109, 120बी. भादवि0, तारीख/Date 12.02.2015 सरकार बनाम/State Versus श्री गिरीश शर्मा, पी.ए. टू प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर छ.ग. एवं अन्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर के संबंध में भेजे गये प्रदर्शों का परीक्षण करने और कथित परीक्षण के उद्देश्य से जरूरत होने पर उसके किसी हिस्से को लेने या किसी भाग को पृथक करने का अधिकार है।

and if necessary to take them to piece or remove portions for the purpose of the said examination.

भेजने वाले अधिकारी का पद और हस्ताक्षर
Signature & Designation of Forwarding Authority
(Judicial Magistrate/
Dy. Commissioner/Supdt. of Police)

पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो
छत्तीसगढ़, रायपुर

तारीख/Date 19.3.15
स्थान/Place रायपुर

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रा[illegible]

CENTRAL FORENSIC SCIENCE LABORATORY,
Directorate of Forensic Science Services
Ministry of Home Affairs, Government of India
HYDERABAD, INDIA-500 013
Phone:91-40-2703 8741/2703 8902 27038985 * 27038429(Director) * Fax :91-40-2703 9281/2703 7855

No. CFSL(H)/500/DOC/135/CAH-37/2015

Dated: 16/03/2015

To

THE SUPDT. OF POLICE,
RAIPUR, CHATTISGARH.

Sir,

Sub: Analysis of exhibits in Cr. No. 09/2015 of EOW/ ACB.

Ref: Your letter No. 09(15)/864/2015 dated 12/03/2015.

***

The receipt of three sealed parcels sent through Shri. Ramakanth Shah, Inspector vide letter under reference is acknowledged herewith. Any discrepancy, if found, after opening the sealed parcel would be intimated.

मूल प्रति प्राप्त किया।
16/4/15
आर० शिव प्रसाद साहू

Yours faithfully,

16/3/15
for Director

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)